...रीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन संख्या 102/2019 अनवान अचलाराम बनाम ग्राम पंचायत आदर्श उण्डखा	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
16/12/22	**निर्णय** पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188, 92क व 183 तहत प्रस्तुत किया है, जो न्यायालय में विचाराधीन है। वकील प्रार्थीगण का कथन है कि मौजा आदर्श उण्डखा पटवार क्षैत्र उण्डखा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 776/593 रकबा 10.00 बीघा भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी की पैतृक भूमि आई हुई है, जिसमे प्रार्थीगण का कब्जा है तथा प्रार्थीगण का रहवासी घर बना हुआ है। वादग्रस्त भूमि बाडमेर से गुजरात जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 68 पर अवस्थित है। वादग्रस्त भूमि में से प्रार्थीगण के दादा सिदारान ने पूर्व में 01.00 बीघा भूमि स्कूल के लिए समर्पित की गई थी। उक्त समर्पिता भूमि की राजस्व अधिकारियों ने गलत पैमाईश कर दी गई जिसका फायदा उठाकर अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने सांठ–गांठ कर स्कूल की पक्की दीवारों का निर्माण कार्य करवाना प्रारम्भ कर दिया जो अनूचित होने से अतिक्रमण कर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में अवैध रूप से प्रवेश कर रहे है तथा प्रार्थीगण को उसके कब्जे काश्त में दखलन्दाजी कर प्रार्थीगण को बेदखल करने पर उतारू है। यदि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में अप्रार्थीगण द्वारा जबरन कब्जा कर निर्माण कार्य किया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। लिहाजा प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाये कि अप्रार्थीगण उपवर्णित भूमि में प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही करे न ही किसी अन्य से करावे। मौके व रेकर्ड की वाद के निर्णय तक यथा स्थिति बनाये रखें। प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब प्रस्तुत नही करने से जवाब बन्द किया जाता है। वकील प्रार्थीगण को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन	
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बाड़मेर		

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **राजस्व आवेदन संख्या 102/2019 अनवान अचलाराम बनाम ग्राम पंचायत आदर्श उण्डखा**	नम्बर तारीख जो तामील में हुए
	किया गया तथा पत्रावली के संलग्न दस्तावेज का भी गंभीरता पूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली व दस्तावेजात के अवलोकन से तथा वाद पत्रावली एवं आवेदन के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत आवेदन का निर्णय बाद मेरट पर किया जा सकेगा तथा प्रकरण में उभय पक्षों का मौके पर विवाद है। यदि यह आवेदन खारिज किया जाता है तो वादों की संख्या में बढोतरी होगी। प्रकरण के निर्णय तक उभय पक्षों को पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा वाद के निर्णय तक इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा आदर्श उण्डखा पटवार क्षेत्र उण्डखा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 776/593 रकबा 10.00 बीघा भूमि में उभय पक्ष मौके की यथा स्थिति बनाये रखे तथा एक–दूसरे के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नही करें। निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) बाड़मेर	